उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2017

1. चानन राम पुत्र श्री पूर्ण राम जाति मेघवंशी साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A18/7

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. जगतार सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरमीत सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बलदेव सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता (वादमित्र) श्रीमती निर्मलजीत कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. प्रकाश पुत्र श्री पूर्ण राम जाति मेघवंशी साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. बृजलाल पुत्र श्री पूर्ण राम जाति मेघवंशी साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. बायली पुत्री श्री पूर्ण राम जाति मेघवंशी साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. कलावती पुत्री श्री पूर्ण राम जाति मेघवंशी साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. मनजीत सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति जटसिख साकिन 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. मोहन लाल पुत्र श्री सिगना राम जाति मेघवाल साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. ख्याली राम पुत्र श्री सिगना राम जाति मेघवाल साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. उषा देवी पत्नी श्री पप्पू उर्फ ईश्वर जाति मेघवाल साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. सुनील पुत्र श्री पप्पू उर्फ ईश्वर जाति मेघवाल साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. अनिल पुत्र श्री पप्पू उर्फ ईश्वर जाति मेघवाल साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

लगातार ___ 2

A-18/2

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 7 व 8

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 21.07.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई—बहिनों (अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 8) के नाम से वाके चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 2, 3, 9, 10, 11 में नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है

प्रार्थी के उक्त रकबा में जाने के लिए कोई रास्ता नही है, इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में जाकर कृषि कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रार्थी अपने गांव की आबादी, जो मुरब्बा नम्बर 50 में स्थित है, से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 के पश्चिम उत्तर कोना से होकर मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में चले रहें स्वीकृत शुद्धा रास्ता से होते हुए किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर स्वीकृत शुदा रास्ता मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 21 से होकर, मुरब्बा नम्बर 53 के घरू तौर पर छोड़े हुए रास्ता किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से होकर अपने मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1 में प्रवेश करता है तथा मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 2, 3 में भी घरू तौर पर रास्ता छोड़ा हुआ है। लेकिन उक्त रकबा में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 के पश्चिम उत्तर कोना पर चल रहा घरू रास्ता का रकबा, किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर चल रहा घरू रास्ता का रकबा, मुरब्बा नम्बर 53 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी साईड में चल रहे रास्ता का रकबा व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 की उत्तरी साईड में चल रहा रास्ता, अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होने के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थी उक्त रकबा में से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 में से 0.0012 हैक्टर रकबा (पश्चिम उत्तर कोना पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा) मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 में से 0.0012 हैक्टर (दक्षिणी पूर्वी कोने पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा), मुरब्बा नम्बर 53 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.095 हैक्टर रकबा व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 की उत्तरी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.057 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके लिए निर्धारित मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते का रकबा में से मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1 अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से, किला नम्बर 25 अप्रार्थी संख्या 9 के नाम से, मुरब्बा नम्बर 53 किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 के नाम से व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दीयों की प्रतियां संलग्न है।

यह कि प्रार्थी को अपने रकबा में जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल कृषि के सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग नहीं की जा रही है बल्कि प्रार्थी को अपने रकबा में जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा यही रास्ता प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर पहले तो वह टाल—मटोल करते रहे, परन्तु अब दिनांक 10.03.2017 को सहमति से रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया गया है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A/18
3

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 में से 0.0012 हैक्टर रकबा (पश्चिम उत्तर कोना पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा) मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 में से 0.0012 हैक्टर (दक्षिणी पूर्वी कोने पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा), मुरब्बा नम्बर 53 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.095 हैक्टर रकबा व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 की उत्तरी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.057 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1 खाता संख्या 20 में संयुक्त खाते में जगतारसिंह वैगराह के नाम कृषि भूमि दर्ज है व समस्त खाता रहन बदस्तुर है, इसी मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 25 जो कि मनजीतसिंह के नाम दर्ज है जो रहन बदस्तुर है व इसी चक के मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 जो कि प्रकाश चानण बगैरह के नाम से दर्ज है प्रकाश का हिस्सा रहन बदस्तुर है।

चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 50 में आबादी है व मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 21 में मौके पर स्वीकृत रास्ता चल रहा है। अतः प्रार्थी नें मुरब्बा नम्बर 42 के स्वीकृत रास्ते पर जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 में रास्ता चाहा है। अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता छोड़ दिया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता की एवज में मुआवजा भी नकद प्राप्त कर लिया है, इसलिए अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार के मुआवजा दिलवाए जाने की मांग नहीं करते हैं अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे।

प्रकरण के सन्दर्भ में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उभयपक्ष की सहमती के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत उभयपक्ष की सहमती के अनुसार चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 में से 0. 0012 हैक्टर रकबा (पश्चिम उत्तर कोना पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा) मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 में से 0.0012 हैक्टर (दक्षिणी पूर्वी कोने पर सवा आठ इन्टू साढे सोलह फीट रकबा), मुरब्बा नम्बर 53 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.095 हैक्टर रकबा व मुरब्बा नम्बर 60 का किला नम्बर 1, 2, 3 की उत्तरी साईड में से प्रत्येक किला में 0.019 हैक्टर कुल 0.057 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 21.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)